तत्काल
तिथिबद्व

क्रमांक 46/5/1993–5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग ।

दिनांक, चण्डीगढ 21 सितम्बर, 2020.

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, गुडगांवा तथा हिसार मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

विषयः 23 सितम्बर, 2020 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' मनाने बारे ।

....

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 9/5/82–पोल (5पी), दिनांक 28 जुलाई, 1982 की ओर दिलाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि गत वर्षों की भान्ति इस वर्ष भी 23 सितम्बर का दिन' हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' के रूप में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जायें और इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभायें, समारोह, गोष्ठियां आदि आयोजित करके शहीदों को श्रद्वाजंलि अर्पित की जायें । शहीदों के परिवारों तथा युद्ध में वीरता पुरस्कार पाने वालो को स्मृति चिन्ह् आदि भेंट कर यथावत् सम्मानित किया जाये । इस समारोह में स्वतन्त्रता सेनानियों एवं कारगिल के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमन्त्रित किया जायें ।

2. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी मण्डलायुक्तों/उपायुक्तो के ध्यान में ला दिया जाये कि कोविड –19 (महामारी) के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुये 23 सितम्बर, 2020 को 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाये ।

3. आपसे अनुरोध है कि इन समारोहों के आयोजन बारे जिला स्तर पर भली–भांति प्रचार किया जाये तथा समारोहों के आयोजन का प्रेस को भी पूर्ण विवरण दिया जायें ।

भवदीय

अधीक्षक राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

अधीक्षक राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा ।

अशाः क्रमांक 46/5/1993–5पोल दिनांक चण्डीगढ 21 सितम्बर, 2020

.....2......

पृ0 कमांक 46/5/1993–5पोल दिनांक चण्डीगढ 21 सितम्बर, 2020

एक–एक प्रति निम्नलि खित को सूचनार्थ भेजी जाती है :–

1. एक–एक प्रति मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव (वी.उमाशंकर)/अतिरिक्त प्रधान सचिव (योगेंद्र चौधरी)/उप प्रधान सचिव (आशिमा बराड़)/सहालकार, सार्वजनिक सुरक्षा, शिकायत एवं सुशासन, और सामग्र प्रभारीसी0एम0विडों/प्रधान विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर)/विशेष कार्य अधिकारी (सतीश कुमार)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेशवर दयाल)/ए0डी0सी0 (अलोक वर्मा, कैम्प कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास)/राजनैतिक सलाहकार (कृष्ण कुमार बेदी)/राजनैतिक सचिव (अजय गौड)/राजनैतिक सलाहकार (योगेन्द्र मलिक)/मीडिया सलाहकार (अमित आर्य)/ध्रुव मजूमदार (आई0टी0कंन्सलटैट) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/उप मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के सूचनार्थ भेजी जाती है ।

2. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायाचार एवं प्रचार विभाग ।

अधीक्षक राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/93–5पोल दिनांक चण्डीगढ 21 सितम्बर, 2020.

एक प्रति महानिदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

अधीक्षक राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ0 कमांक 46/5/93–5पोल दिनांक चण्डीगढ 21 सितम्बर, 2020

एक प्रति विशेष वरिष्ठ सचिव, मुख्य मंत्री महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

अधीक्षक राजनैतिक,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।